

पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

भोजातों का ओड़ा



ग्राम पंचायत - भोजातों का ओड़ा
ब्लॉक एवं पंचायत समिति - दोवड़ा
तहसील एवं जिला - डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

गाँव का इतिहास - लगभग ढाई सौ साल पहले भोजाता अटक(उपजाति) के कुछ आदिवासी भराई पाल(देव सोमनाथ से आगे बुराई घटा के पास) से आकर के एक स्थान पर बस गए। इस स्थान पर लकड़ियाँ खड़ी करके उन पर घास-फूस डाल कर उन्होंने ओड़ा (झोपड़ीनुमा अस्थाई रहवास) बनाया। उन्हीं ओड़ा में वे रहते थे। इसलिए इस गाँव का नाम भोजातों का ओड़ा पड़ा है। धीरे-धीरे भोजातों का वह परिवार बढ़ता गया लेकिन दूसरी उपजाति से आदिवासी वहाँ रहने नहीं आये। जो पहले से रहते थे उनकी बहन के परिवार के लोग जो पारगी उपजाति के थे वे भी अपने परिवार के साथ भोजातों का ओड़ा में आकर बस गए। इसीलिए गाँव में भोजाता(अहारी/गाँगा/हकरा) और पारगी के अतिरिक्त सिर्फ एक परिवार ही अनुसूचित जाति का है जो वर्मा/ढोली(कवि) है। गाँव में दो गुरु-गोविंद की धुणीयाँ और एक अंबे माँ का पूजास्थल(मंदिर) है जो कच्चे मकान में बना हुआ है।

गाँव का एक परिचय - भोजातों का ओड़ा गाँव डूंगरपुर जिला मुख्यालय से 32 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में बसा हुआ है। गाँव में 5 फले - महुड़ी फला(कंजडी फला), चोरा फला, घाटी फला, मोटा वांगा और धाणी वाला फला है। भोजातों का ओड़ा के पड़ोसी गाँव - उबापाणा, बोरतलाई, सिमल घाटी, विकासोर, कालू गामड़ा, पातली और गेहूँ वाड़ा है। गाँव में दस साल पहले शिलालेख की स्थापना हुई। परन्तु वह पुरानी हो चुकी है। इसलिए पुनः शिलालेख की गयी। गाँव सभा का गठन और शिलालेख 28 फरवरी 2018 को पुनः हुआ। गाँव का पूरा रकबा 235 हेक्टेयर है। कृषि जमीन 61 हेक्टेयर है। बेनामी जमीन 35 हेक्टेयर है। गाँव में जंगल की जमीन नहीं है। चरागाह की जमीन 38 हेक्टेयर है। गाँव में कुल परिवारों की संख्या 270 है जिसमे आदिवासियों की भोजात(अहारी) और पारगी उपजातियां रहती है। अनुसूचित जाति में वर्मा एवं ढोली परिवार रहता है। खेती की उपज में मक्का, गेहूँ, चना, उड़द और सोयाबीन आदि होता है। रोजगार का साधन नरेगा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 75% है। गाँव में पहाड़ नहीं है छोटी-छोटी पहाड़ियाँ हैं। गाँव में जंगल भी नहीं है इसलिए लघु वनोपज नहीं होती है। गाँव का निकटतम बाजार पुनाली, हथार्ई या रामगढ़ 6 किलोमीटर दूर है। गाँव में सरकारी राशन की दुकान है। पीने के पानी की व्यवस्था हैंडपंप से होती है। गाँव में दो सामुदायिक भवन है जिनके आगे गुरु-गोविंद की धुणी है। एक सामुदायिक भवन है जिसकी छत से बरसात में बहुत पानी टपकता है। आंगनवाड़ी एक है। मकान 270 है। गाँव में बस स्टैंड और एक पटवार भवन भी है।

आवागमन की स्थिति - भोजातों का ओड़ा गाँव डूंगरपुर से दोवड़ा मार्ग पर उत्तर दिशा में 32 किलोमीटर दूर बसा हुआ है। कहीं आने-जाने के लिए उन्हें पैदल चलकर गाँव के बस स्टैंड पर जाना पड़ता है। जहाँ से घंटों इन्तजार करने के बाद उनको जीप या टेपो मिलते हैं। जो हथार्ई तक जाते है। पहले डूंगरपुर से भोजातों का ओड़ा जाने के लिए डूंगरपुर बस स्टैंड से भोजातों का ओड़ा तक रोडवेज बस चलती थी। जो अब बंद हो गयी है। अब हथार्ई तक के लिए ही बस मिलती है। हथार्ई से भोजातों का ओड़ा 6 किलोमीटर दूर है। आदिवासी परिवार पहाड़ियों पर बसे हुए हैं। वहाँ आने-जाने के लिए कच्चे रास्ते हैं। चार पहिया वाहन वहाँ नहीं पहुँच सकता। बरसात के दिनों में वहाँ पैदल चल पाना भी मुश्किल होता है। मुख्य सड़क से गाँव में जाने के लिए कोई साधन नहीं चलता है।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति - गाँव में एक आंगनवाड़ी है। गाँव में ही उप-स्वास्थ्य केंद्र भी है। मरीजों को अस्पताल ले जाने की सुविधा नहीं है इसलिए पैदल मरीजों को चारपाई या झोली में डालकर गाँव की सड़क तक ले जाना पड़ता है। तब कहीं जाकर उनको साधन मिलता है। गाँव के आस-पास कोई दवा की

दुकान भी नहीं है। दवा खरीदने के लिए हथवाई जाना पड़ता है। गंभीर मरीज के लिए 108 को फोन करते हैं जो आती भी है लेकिन काफी समय लगता है इसलिए मरीजों को निजी साधन से ही डूंगरपुर लेकर जाते हैं। गाँव में पशु चिकित्सालय नहीं है। निकटतम पशु चिकित्सालय फलोज में (10 किलोमीटर दूर) है। गाँव में एक प्राथमिक स्कूल है जिसमें बच्चों की संख्या 53 है लेकिन अध्यापक एक ही है। एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जिसमें बच्चों की संख्या 425 है। उसमें अध्यापकों की संख्या 10 है। अध्यापकों की कमी के कारण बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। ज्यादातर बच्चों को कक्षा स्तर का ज्ञान तक नहीं है। डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए पुनाली (5 किलोमीटर) या डूंगरपुर जाना पड़ता है।

गाँव की समस्याओं का विवरण निम्न प्रकार है -

आवागमन की कमी - गाँव बड़ा होने से बस स्टैंड तक गांववासियों को पैदल चल कर जाना पड़ता है। फलों तक जाने के लिए कच्चे रास्ते या पगडंडी है। मुख्य सड़क तक कोई साधन नहीं चलता है। बरसात में फलों के रास्तों में कीचड़ भर जाता जिससे पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। पहाड़ी रास्ते उबड़-खाबड़ हैं, जिनको आर.सी.सी. सड़क या समतल करने की बेहद जरूरत है। पहले रोडवेज बस डूंगरपुर से गाँव तक आती थी जो अभी बंद है। अभी हथवाई तक पैदल जाना पड़ता है घंटों इन्तजार के बाद हथवाई आने-जाने के लिए जीप/टेंपो मिलते हैं।

भूमि एवं जल प्रबंधन की कमी - गाँव में थोड़ी सी समतल जमीन है जो कुछ परिवारों के कब्जे में है और गाँव का चरागाह भी पहाड़ियों पर है। अधिकतर लोगों के पास जो जमीन है वह ढलान वाली, पथरीली एवं उबड़-खाबड़ होने से कृषि लायक नहीं है। किसी तरह से बरसात में होने वाली फसल ही पैदा कर पाते हैं सूखा पड़ने पर वह भी नहीं हो पाती है। गाँव के समतल जमीन और कुछ पहाड़ियों के ढलान पर खेती होती है लेकिन बाकी खाली पड़ी जमीन और पहाड़ियों के उपयोग की गाँव के लोगों के पास किसी भी प्रकार की योजना नहीं है। जमीन और पहाड़ियों को कब्जे में लेकर उसे उसी तरह छोड़ दिया गया है। ज्यादातर पहाड़ियां न तो उनके नाम है न ही उनको अभी तक अधिकार पत्र ही मिले हैं। भोजातों का ओड़ा गाँव में दो तालाब है- पहला उमरिया तालाब और दूसरा आम्बेला तालाब। गाँव में 40 कुए हैं। गाँव में एनीकट की संख्या 2 है जिसमें से बरसात के बाद पानी रिस कर निकल जाता है। हैंडपंपों की संख्या 35 है। सिंचाई के लिए लोगों ने के ट्यूबवेल लगा रखे हैं जिनमें बरसात के बाद जल स्तर नीचे चला जाता है। कुएं गर्मियों में सूख जाते हैं। अभी तक जल स्तर को ऊँचा करने की योजना गाँव के लोगों के पास कुछ भी नहीं है। पीने के पानी में फ्लोराइड पाया जाता है। गर्मियों में जलस्तर नीचे चले जाने के कारण लोग ट्यूबवेल का पानी पीते हैं जिससे फ्लोराइड की मात्रा और बढ़ जाती है। पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा होने से दांतों पर पीले रंग के निशान हो जाते हैं और कुछ समय तक लगातार फ्लोराइड युक्त पानी पीने से हड्डियाँ टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती हैं। इसके बारे में लोगों की कोई योजना नहीं है न ही गाँव में शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था के लिए कोई आर. ओ. प्लांट ही है। गाँव के बहुत कम हैंडपंप जो चालू हैं जिससे उनको गर्मियों में पीने के पानी के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर पानी के प्रबंधन की उनके पास अभी तक कोई योजना नहीं है चाहे वह सिंचाई के लिए हो, जल स्तर ऊँचा करने के लिए हो अथवा शुद्ध पीने के पानी के लिए हो।

कृषि और रोजगार की स्थिति - गाँव में उपजाऊ समतल जमीन बहुत कम है जिस पर वे गेहूँ, मक्का, उड़द, चना, सोयाबीन और सब्जियों आदि की खेती करते हैं। जमीन उबड़-खाबड़, पथरीली, और ढलान वाली ही है जिस पर भी कुछ गांववासियों द्वारा खेती की जाती है। कुछ की जमीन पर सिर्फ घास उगती

है। उनके पास सिंचाई का कोई साधन नहीं है। उनके पास इतनी कृषि भूमि भी नहीं है कि वह लोग सिंचाई की कोई व्यक्तिगत व्यवस्था कर सके। इसलिए वह साल भर में मात्र एक फसल ले पाते हैं। कृषि भूमि कम होने के कारण वे मनरेगा में मजदूरी करते हैं या गुजरात/महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों जैसे अहमदाबाद या मुंबई में दैनिक मजदूरी के लिए चले जाते हैं। जहां वह 250 से 300 रुपए तक की दैनिक मजदूरी करके अपने परिवार का किसी तरह भरण पोषण करते हैं। गाँव में सरकारी नौकरी करने वालों की संख्या 22 है।

गाँव में उपलब्ध संसाधन, उनकी हालत और संभावनाएं -

संसाधन	हालत	संभावनाएं
जल तालाब नाला कुआं हैंडपंप ट्यूबवेल	भोजातों का ओड़ा गाँव में दो तालाब है। तालाब की गहराई कम है। गाँव में कुल 40 कुएं हैं जो गहरीकरण और मरम्मत के आभाव में गर्मियों में सूख जाते हैं। हैंडपंप 35 है। जिनमें फ्लोराइड युक्त पानी आता है। नाले दो है। नाले जिनकी जमीन के बीच से निकल रहें है उनकी खेत की मिट्टी का नाले के कारण कटाव होता है। पुराने एनीकट दो है जो टूटे हैं। उनसे पानी का रिसाव होता है। सिंचाई के लिए गाँव में कुछ निजी ट्यूबवेल है जिससे वह अपनी फसलों की सिंचाई करते हैं लेकिन गर्मियों में जल स्तर नीचे चले जाने के कारण उनके ट्यूबवेल में भी पानी कम हो जाता है।	तालाब को गहरा करके मछली पालन किया जा सकता है तालाब के दोनों तरफ नहर की व्यवस्था की जा सकती है जिससे फसलों की सिंचाई की जा सकती है। कुओं से मलबा निकालने की योजना बनाकर प्लास्टर किया जा सकता है। स्वच्छ जल पीने की व्यवस्था के लिए आर. ओ. लगाकर और कुओं की मरम्मत करके फ्लोराइड की समस्या से मुक्ति पाई जा सकती है। नाले के दोनों एनीकट अगर मरम्मत करके ठीक कर दिए जाएं और पाल की ऊंचाई बढ़ाई जाए तथा उस नाले पर और एनीकट बनाया जाए और गाँव के पहाड़ों के दर्रे पर एनीकट का निर्माण कर दिया जाए तो जलस्तर भी ऊंचा होगा और गाँव के लोगों की सिंचाई का संकट दूर हो सकता है। इस प्रकार गाँव में गर्मियों में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है। गाँव में बरसात के पानी को ज्यादा से ज्यादा रोक कर, कुएं रिचार्ज करके भी जल स्तर ऊंचा किया जा सकता है।
जमीन कृषि भूमि बिला नाम भूमि चरागाह	गाँव का रकबा 235 हेक्टेयर है। चरागाह की जमीन 38 हेक्टेयर है जिस पर केवल बरसात में होने वाली घास होती है जिसे चारे के रूप में लोग काट कर लाते हैं। कृषि जमीन 61 हेक्टेयर है। जो थोड़ी समतल, बाकी पहाड़ी ढलानवाली, उबड़-खाबड़, पथरीली है। समतल जमीन कुछ ही है जो उपजाऊ है। बेनामी जमीन 35	समतलीकरण करके कुछ जमीन को उपजाऊ बनाया जा सकता है। चारागाह भूमि, जो पहाड़ियां बिला नाम की हैं तथा गाँव की बेकार पड़ी जमीन को गाँव सभा के अधीन करके उस पर भी वृक्षारोपण किया जा सकता है और उससे आय के साधन बनाए जा सकते हैं। जो जमीन लोगों के खातेदारी में हैं उस पर कुछ पैदा नहीं किया जा रहा है

	हेक्टेयर है जिस पर लोगों का कब्जा है। समतल भूमि ही सिंचित है। बाकी जमीनें असिंचित है। असिंचित भूमि पर बरसात में होने वाली फसल ही पैदा होती है।	और वह जमीन खाली पड़ी है तो उस पर भी वृक्षारोपण किया जा सकता है। जिससे लोगों की आय के साधन बढ़ सकते हैं। सब्जी की खेती भी करके आय बढ़ाई जा सकती है।
सरकारी विद्यालय	दो सरकारी विद्यालय है जिसमें से एक प्राथमिक स्कूल है उस स्कूल में बच्चों की संख्या 53 है लेकिन अध्यापक एक ही है। एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जिसमें बच्चों की संख्या 425 है। उसमें अध्यापकों की संख्या 10 है। कमरों की कमी और भवन की छत भी क्षतिग्रस्त है। विद्यालय का परकोटा नहीं है। खेल मैदान भी समतल नहीं है।	अध्यापकों की नियुक्ति और कमरों का निर्माण और छत मरम्मत। परकोटा निर्माण। खेल मैदान समतलीकरण करवाना।
सामुदायिक भवन	बरसात में सामुदायिक भवन की छत से पानी का रिसाव होता है।	छत की मरम्मत और नए भवन का निर्माण।

पशुपालन हेतु चारे व चरागाह की कमी - गाँव के कुछ लोग बकरी, गाय और भैंस पालते हैं। कुछ लोगों के पास अच्छी और उपजाऊ कृषि भूमि होने से चारे की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। गाँव के चरागाह और पहाड़ियों पर जो घास मिलती है वह उनके चारे की कमी को पूरा कर देती है। पर कुछ परिवारों में चारे के संकट के कारण पशुपालन नहीं हो पाता। कुछ लोगों के पास 1-2 गाय, बैल और बकरियाँ ही पशु के नाम पर हैं। देशी नस्ल होने और चारे की कमी के कारण गाय एक से डेढ़ लीटर दूध देती है जो केवल घरेलू उपयोग में ही आता है। उनके लिये बकरी पालन भी कर पाना कठिन है क्योंकि उनको चारा चराने की जगह उनके पास नहीं है। जानवरों के चारे की उपलब्धता चार पांच माह ही रहती। उपलब्ध चारा समाप्त होने के बाद चारा बाजार से खरीदना पड़ता है। अधिकांश लोग गरीबी के कारण चारा भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं हैं। जो गर्मियों में और भी महंगा हो जाता है। चारे के आभाव में गर्मियों में उनके पशु कमजोर हो जाते हैं।

आजीविका के साधनों की कमी - मनरेगा में मजदूरी, थोड़ा बहुत काश्तकारी काम और खेतों में खुली मजदूरी के अलावा और कोई भी रोजगार का साधन गाँव में नहीं है। ज्यादातर लोगों के पास कृषि भूमि कम है उन परिवारों के लोगों को निकट के बाजारों और शहरों में काम करने जाना पड़ता है लेकिन वहाँ भी रोज काम नहीं मिल पाता है। महीने में बीस दिन ही काम मिल पाता है। कुछ लोगों को गुजरात के शहरों में दैनिक मजदूरी करने जाना पड़ता है क्योंकि मनरेगा में काम भी 70-80 दिन ही मिलता है और मजदूरी भी 90 रु. प्रति दिन ही मिलती है जिससे उनके परिवार का गुजारा हो पाना मुश्किल है। आजीविका के साधनों को विकसित करने के बारे में गाँव वालों के पास अभी कोई योजना भी नहीं है।

सरकारी योजनाओं से वंचितों की स्थिति - सौ दिन काम नहीं मिलने से लोग श्रमिक कार्ड से वंचित हैं। कुछ लोगों की पेंशन पाने की उम्र भी हो चुकी है लेकिन पहचान पत्र में उनकी उम्र कम होने से पेंशन नहीं मिल पा रही है। उम्र संशोधन कराने की एक तो जानकारी नहीं है और दूसरा अगर इसके लिए कुछ लोग प्रयास भी करते हैं तो कर्मचारियों द्वारा उनको सहयोग नहीं मिलता। कभी-कभी उनसे इसके लिए

शुल्क के अलावा अतिरिक्त पैसे की भी मांग की जाती है। यही हाल राशन की दुकानों पर भी है। कुछ लोगों का अंगूठा निशान नहीं मिलने से राशन नहीं मिलता है। कभी-कभी राशन की गुणवत्ता खराब होती है। राशन में गेहूं हर माह मिलता है। शक्कर और मिट्टी का तेल (2 लीटर) दो तीन माह में मिलता है जिसके कारण लोगों को रात अंधेरे में बितानी पड़ती है। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को पढ़ने की होती है क्योंकि बिजली भी समय से नहीं मिलती है और जिनके पास बिजली के कनेक्शन नहीं है उनको तो बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। राशन में चावल नहीं मिलता है। गाँव में पेंशन के लाभार्थियों की संख्या 135 है। वृद्धा पेंशन लाभार्थी महिलाएं 70, वृद्धा पेंशन लाभार्थी पुरुष 65, विधवा पेंशन लाभार्थी महिलाएं 26 है। एकल नारी पेंशन लाभार्थी महिलाएं तीन है। गाँव में आवास योजना के पात्रों की संख्या 217 है। इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों की संख्या 15 है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की संख्या 20 है। मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की संख्या 150 है।

गाँव सभा द्वारा चिह्नित समस्याएं, उनके कारण, प्रस्तावित समाधान एवं उनकी वरीयता -

क्र.सं.	समस्याएं	सार्वजनिक/ व्यक्तिगत	कारण	समाधान	तात्कालिक/ दीर्घकालिक	वरीयता
1	रास्ते की समस्या	सार्वजनिक	सार्वजनिक निर्माण विभाग (P.W.D.) और पंचायत द्वारा गाँव के रास्ते का निर्माण किया जाता है। जहाँ लोग प्रभावशाली और जागरूक है वहाँ तो रास्ते हैं। जिन फलों में लोग जागरूक नहीं हैं और न ही प्रभावशाली है वहाँ रास्ते का संकट है। गाँव की मुख्य सड़क या रास्ते से लोगों के घरों तक रास्ता नहीं है। उनके घरों तक पगडंडी है क्योंकि बीच में दूसरे की जमीन है। कुछ लोग रास्ते के लिए अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं है।	गाँव सभा कमेटियों के गठन के बाद जहाँ जहाँ रास्ते नहीं है वहाँ के प्रस्ताव लिए गए हैं और उसे पंचायत की एक्शन प्लान में शामिल करवाने के बाद रास्ते का संकट का समाधान होने की संभावना है। जिन लोगों के घरों तक जाने के लिए मात्र पगडंडी है उन लोगों ने गाँवसभा में इसकी चर्चा की है क्योंकि बीच में जिन लोगों की जमीन है उनकी सहमति के बगैर उनको रास्ता नहीं मिल सकता है।	तात्कालिक	
2	शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होना	सार्वजनिक	गाँव में बच्चों के शिक्षा का स्तर एकदम निम्न है क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए न तो	इस समस्या के समाधान के लिए गाँव सभा में निर्णय लिया गया है कि शिक्षा विभाग और जिला अधिकारी को	तात्कालिक	

			अध्यापक हैं और न ही कमरे हैं सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीनता और उनकी शिक्षा नीति के कारण न तो अध्यापकों की नियुक्ति हो पा रही है न ही कमरों का निर्माण हो पा रहा है।	ज्ञापन दिया जाएगा और इसके लिए पंचायत के अन्य गांवों की भी मदद ली जाएगी।		
3	कृषि संबंधी समस्या	व्यक्तिगत / सार्वजनिक	गाँव में कृषि योग्य भूमि कम है। सिंचाई की सुविधा भी नहीं है। बरसात का पानी गाँव में रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्नतशील बीज और खाद का अभाव है।	खेतों का समतलीकरण, बरसात का पानी रोकने के लिए खेतों की मेड़ बंदी तथा कच्चे चेक डैम का निर्माण और खेत तलावड़ी का निर्माण करना। गाँव के नाले में पानी रोकने की योजना। बागवानी पर भी विशेष ध्यान देना।	तात्कालिक	
4	आवास निर्माण, पेंशन और उसके भुगतान संबंधी समस्या	व्यक्तिगत	गरीबी के कारण बहुत से लोग अपने लिए आवास नहीं बना सकते हैं। गाँव में जिन लोगों को आवास की बेहद जरूरत है उनके आवास नहीं बने हैं। जो सक्षम लोग हैं उनके आवास बन गए हैं। गाँव के कुछ पात्र लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है और कुछ लोगों की बंद भी हो गयी है। गाँव के ज्यादातर लोगों के शौचालय का भुगतान नहीं हुआ है।	गाँव के सबसे जरूरतमंद लोगों को आवास निर्माण के लिए आवेदन कराना और उसके लिए प्रयास करना। बकाया राशि का भुगतान तुरंत करना। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है उनको पेंशन योजना से जोड़ना। बंद पेंशन का भुगतान तुरंत शुरू करवाना। इसके लिए गाँव सभा में प्रस्ताव पारित करके कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी गयी है कि वे लोग आवास और पेंशन का आवेदन कराए।	तात्कालिक	
5	काबिज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना	सार्वजनिक	लोग कई पीढ़ियों से गाँव में बसे हैं लेकिन जितनी भूमि पर वह काबीज है	गाँवसभा में प्रस्ताव पारित किया गया है कि गाँव के सभी लोग अपनी काबिज भूमि की	दीर्घकालिक	

			उसकी खातेरदारी का हक उनको नहीं मिला है। सरकार की अधोषित नीतियों के कारण राजस्व विभाग ने खातेदारी हक देना बंद कर दिया है। जिसके कारण भविष्य में उनकी जमीन आसानी से छीन जाने का संकट खड़ा हो गया है।	फ़ाइल तैयार करेंगे और उसे गाँव सभा द्वारा सामूहिक रूप से एक साथ राजस्व विभाग में दावा का मुकदमा किया जाएगा। पट्टे की जमीन जिसकी पैनल्टी राजस्व विभाग ने लेना बंद कर दिया है उसे कोर्ट में जमा करना क्योंकि पेनल्टी नहीं देने से पट्टा खारिज हो जाएगा और धारा 91 के अनुसार काबीज जमीन का नियमन कराना।		
6	पेयजल समस्या	की सार्वजनिक	पीने के पानी में फ्लोराइड है। बोरवेल ज्यादा लगने और बरसात का पानी गाँव में रोकने की कोई व्यवस्था नहीं होने से भूजल स्तर लगातार नीचे जाने से दो समस्याएँ खड़ी हो गयी है - 1. फ्लोराइड की मात्रा पीने के पानी में ज्यादा बढ़ रही है। 2. गर्मियों में पीने के पानी का संकट बढ़ रहा है।	आर. ओ. प्लांट लगाना। बरसात के पानी को रोकने की बेहतर योजना और बोरवेल से पानी निकालने पर नियंत्रण। तथा पुराने कुओं की मरम्मत।	तात्कालिक	


संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths शक्तियाँ	W- Weakness कमजोरी	O- Opportunities अवसर	T- Threats चुनौतियाँ
आवागमन - गाँव में पक्की सड़के कच्चे रास्ते	हथार्थ से गाँव तक पक्की सड़क तो है लेकिन इस समय वह टूट गयी है। गाँव के कच्चे रास्तों को आर.सी.सी. नहीं किया गया है। एक फले से दुसरे फले तक जाने के	रास्ते ठीक होने से गाँव में साधन आ जा सकते हैं जिससे छोटे-मोटे व्यवसाय किए जा सकते हैं। लोगों को आने-जाने में समय की बचत होगी। बच्चों को विद्यालय जाने तथा	गाँव के जो रास्ते बने हैं उसे ठेकेदारों द्वारा मानक के अनुसार नहीं बनाना जिससे पक्की सड़क और RCC सड़क एक-दो वर्षों में टूट जाती है। गाँव के लोगों की आपसी सहमती

	रास्ते को चौड़ा भी नहीं किया गया है।	मरीजों को अस्पताल ले जाने में आसानी होगी।	नहीं होने से लोगों को उनके घरों तक रास्ता नहीं बन पाता है जिससे अन्य लोगों को काफी कठिनाई होती है।
जल नाला कुआं बोरवेल हैंड पंप	गाँव के नाले पर दो एनीकट है लेकिन टूटे हुए हैं। पहाड़ों के दर्रे में एनीकट नहीं बनाना। कुओं की मरम्मत और उनको रिचार्ज नहीं करना। गाँव में जल की कमी ना हो इसके लिए गाँव के लोगों की जागरूकता में कमी। सिंचाई के लिए बोरवेल लगाने के कारण भूजल स्तर का नीचे जाना।	पुराने एनीकट की मरम्मत और नए एनिकट बनाना। तालाब और कुओं का गहरीकरण और मरम्मत करना। बरसात के पानी को योजनाबद्ध तरीके से अगर रोका जाए तो गाँव में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है जिससे सिंचाई और अशुद्ध पीने के पानी के संकट को दूर किया जा सकता है और भू-जल स्तर को भी ऊँचा किया जा सकता है।	पंचायत द्वारा इस चुनौती से निपटने को कोई कार्ययोजना नहीं होना। गाँव के लोगों की उदासीनता।
आजीविका के साधन	गाँव में लोगों के पास पर्याप्त कृषि भूमि नहीं है। जो है भी वह ढलान, उबड़-खाबड़ तथा पथरीली है। वह उपजाऊ भी नहीं है। कृषि भूमि कम होने से चारे का आभाव रहता है जिसके कारण पशुपालन भी कर पाना संभव नहीं है। पशु भी उन्नतशील नस्ल के नहीं हैं। जो पशु हैं वह भी बहुत कम दूध देते हैं। मनरेगा में मजदूरी के अलावा दूसरा अन्य कोई साधन नहीं है।	गाँव में खाली पड़ी जमीन और पहाड़ों पर वृक्षारोपण, चारागाह का अच्छा प्रबंधन, अच्छी नस्ल के पशुओं का पालन तथा सब्जी के खेती, तालाबों में मछली पालन से आय के स्रोत बढ़ाये जा सकते हैं।	गाँव के लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन का अभाव। सार्वजनिक जमीन पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा। उन्नतशील बीज का अभाव। जमीन, पानी और पहाड़ों के बेहतर प्रबंधन की कमी।
भूमि	खाली पड़ी जमीन और पहाड़ों का जीविका के साधन के रूप में प्रयोग नहीं होना। गाँव की सार्वजनिक जमीन पर कुछ लोगों का अवैध	कृषि जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। गौण खनिज को जीविका के साधन के रूप में निकलवाना। सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जे	सभी लोगों के पास पर्याप्त जमीन का अभाव। सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा सिंचाई का अभाव। खाली पड़ी जमीन के

12	तलावड़ी निर्माण और गहरीकरण के संबंध में	2	--
13	प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास के संबंध में	30	30

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया - फोटो गैलेरी



प्रस्ताव कवरिंग लेटर





विलेज प्लानिंग फेसिलिटेटर टीम (वीपीएफटी) -

नाम फोन न.

1. बंशीलाल अहारी 8890260709
2. लक्ष्मण गाँगा 9602602421
3. गणेश लाल हकरा 9983990985